

By Speed Post

A-12018/04/2014-NTH

Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Consumer Affairs

Gallery No.12/2, Jamnagar House,
Shahjahan Road, New Delhi – 110 011,
Dated, the 03 March, 2017

To

The Director General
National Test House,
Sector-V, C.P. Block,
Salt Lake, Kolkata-700091

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations – Amendment of Recruitment Rules for the post of Technical Assistant (Chemical) and Assistant Workshop Superintendent in National Test House.

Sir,

I am directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9th August, 2016, on the above mentioned subject and to forward herewith a copy of the Revised Recruitment Rules -2017 for the posts of Technical Assistant (Chemical) and Assistant Workshop Superintendent in National Test House, notified in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub Section (i) vide GSR No.34 and GSR No.35 dated 02.02.2017 for record and official use. These Recruitment Rules are also available on the website egazette.nic.in under the name of this Ministry.

Encls : As above

Yours faithfully



(D.K.Sonker)

Deputy Director (NTH)

Tel No.23073612

E-mail: d.sonker@nic.in

Copy to:

1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,
2. Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi
3. Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S. Heet, Under Secretary (RR).]
4. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).
5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)
6. Guard files

s/c



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 04]

नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2017, शनिवार/माघ 9—माघ 15, 1938

No. 04]

NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2017, SATURDAY/MAGHA 9—MAGHA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर के से है अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, स्टोर कीपर श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, तकनीकी सहायक (रसायन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में तकनीकी सहायक (रसायन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, तकनीकी सहायक (रसायन) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी सहायक (रसायन)	02* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6, रुपए 35400-112400/-	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति के मामले में दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रति नियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 में के ऐसे विभागीय प्रयोगशाला पर्यवेक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन-मैट्रिक्स में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित)

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा कानूनी और स्वायत्त निकायों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी, जो :-

(क) (i) मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हों; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो; अथवा

(iii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष की सेवा हो; और।

(ख) जो निम्नलिखित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में बैचलर डिग्री।

(ii) रसायन प्रयोगशाला में फोरमैन, प्रयोगशाला पर्यवेक्षक अथवा प्रयोगशाला सहायक के रूप में 2 वर्षों का अनुभव और मशीनों, उपकरणों और उपकरणों के रख-रखाव का ज्ञान। कैमिकल रीजेन्ट्स, डिस्टिल्ड वॉटर/डिमिनरलाइनेशन संयंत्र, फरनेस और ओवन इत्यादि जैसे रासायनिक संयंत्रों और उपकरणों का संचालन और रख-रखाव।

टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 3: प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सामान्य स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. क्षेत्र के वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'ग' : अध्यक्ष	
2. उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) अथवा अवर सचिव (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	
2. क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II) : सदस्य	

[फा. सं. ए.-12018/4/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एनटीएच)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House Technical Assistant <Chemical>, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant <Chemical> in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House namely :-

1. Short title and commencement.—(1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Technical Assistant <Chemical>, (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Assistant (Chemical).	02* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non - Ministerial.	Level - 6, Rs.35400 - 112400/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.

(11)

Promotion : Departmental Laboratory Supervisor in the Level - 5 of Pay Matrix with six years regular service in the grade

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state government or Union territories or Public Sector Undertakings or statutory and autonomous bodies or recognised research institutions or Universities:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level - 5 of Pay Matrix in the parent cadre or department; or
 - (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level - 4 of Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualification and experience as under :
 - (i) Bachelor degree of Science with Chemistry from a recognised University; and
 - (ii) two years' experience in Chemical Laboratory as Foreman, Lab Supervisor or Lab Assistant and possessing knowledge of Up-keeping of machines, equipments and apparatus. Preparation of Chemical reagents, operation and maintenance of chemical plants and equipments like distilled water or demineralisation plants, furnaces and ovens etc.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one

grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation, consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senior most Scientist 'C' of the Region -Chairman 2. Deputy Director (National Test House) or Under Secretary (National Test House) of Department of Consumer Affairs -Member 3. Administrative Officer (Grade-II) of the region -Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. A -12018/04/2014- NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में सहायक कार्यशाला अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कार्यशाला अधीक्षक	3* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	स्तर-6, रुपए 35400-112400/-	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 में के ऐसे अनुरक्षण पर्यवेक्षक या वेल्डिंग पर्यवेक्षक या इलैक्ट्रिकल चार्जमैन जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो और फिटर या टर्नर या मिलर या ग्राइंडर या शेपर या ड्रिलर या वेल्डर या मेकेनिक के ट्रेड में न्यूनतम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण किया हो और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिस्ट हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड अथवा पद में विहित अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख के अनुसार तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 (जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन-मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. क्षेत्र का वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'ग' : अध्यक्ष	
2. उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) अथवा अवर सचिव (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	
3. क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II) : सदस्य	

[फा. सं. ए.-12018/4/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Assistant Workshop Superintendent, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Workshop Superintendent in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Assistant Workshop Superintendent, (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Workshop Superintendent.	3* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted), Non-Ministerial.	Level-6, Rs. 35400-112400/-.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.

(11)

Promotion :

(i) Maintenance Supervisor or Welding Supervisor or Electrical Chageman in the Level - 5 of Pay Matrix with six years regular service in the grade and have successfully completed the training of not less than two weeks in the trade of Fitter or Turner or Miller or Grinder or Shaper or Driller or Welder or Mechanic and Machinist from the Industrial Training Institute.

Note 1 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service in the respective grade or post by the officers.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation, consisting of :- 1. Senior most Scientist 'C' of the Region -Chairman 2. Deputy Director (National Test House) or Under Secretary (National Test House) of Department of Consumer Affairs -Member 3. Administrative Officer (Grade-II) of the region -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/4/2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (National Test House)